तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या - 166/2014

उनवान

1. विश्वेश्वर लाल | पुत्रगण स्व० बल्लुराम जाति माली
2. शीशराम | निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनूं

:- वादीगण

- बनाम -

1. श्रीमति गंगा देवी पत्नी बल्लुराम जाति माली निवासी
2. मोती पुत्र बल्लुराम। इस्लामपुर तह० व जिला झुंझुनूं
3. राजस्थान-सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज०)।

:- प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. श्री शीशराम सैनी अधिवक्ता वादीगण की ओर से -
2. श्री अयण कुमार सैनी GA राज्य - सरकार की ओर से -

दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18/4/22

दावा वादीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद दिनांक 23-9-2014 को इस आशय का विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई-निषेधाज्ञा का पेश किया कि कस्बा इस्लामपुर की सरहद में भूमि पुराने खसरा नं० 625 रकबा 3 बीघा पुख्ता जिसके हाल खसरा नं० 1644 रकबा 0.43 हैक्टेयर खसरा नं० 1645 रकबा 0.33 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है० स्थित है। वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता स्व० बल्लुराम भूमिहिन होने के कारण वाद-पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि उनको एलाटमेन्ट की गई थी व 10 साल से अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त होने के बाद उसको खातेदारी अधिकार दिये जो जरिये नामान्तकरण

—2—

अधिकारी (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	(2)	

सं० 523 दिनांक 31-01-1983 को उक्त भूमि पुराने ख० नं० 625 रकबा 3 बीघा पुख्ता का खातेदारी अधिकार दिया गया। अब वादीगण के पिता का देहान्त हो जाने के कारण उक्त भूमि को वादीगण काश्त कर रहे हैं — यह कि प्रतिवादिया नं० 1 के पति व प्रतिवादी नं० 2 के पिता का नाम भी लालूराम था। उक्त लालूराम का भी देहान्त हो गया है। प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि पूर्व खसरा नं० 31 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा पुख्ता जिसके हाल ख० नं० 76 रकबा 0.64 है० को ही काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी नं०-2 के दादा झाबरमल पुत्र सेडू की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नं०-2 के पिता लालू पुत्र झाबर की खातेदारी में भूमि ख० नं० 31 का नामान्तकरण सं० 208 दिनांक 20-04-1969 को दर्ज हुआ था। अगर उक्त झाबर की खातेदारी में ख० नं० 31 के अलावा अन्य भूमि और होती तो उसका नामान्तकरण भी दर्ज होता, परन्तु इनके नाम भूमि ख० नं० 625 हाल ख० नं० 1644 व 1645 की भूमि खातेदारी में नहीं रही है। उक्त भूमि की खातेदारी एलोटमेन्ट द्वारा वादीगण के पिता को दी गई थी। यह कि सहवन से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पूर्व खसरा नं० 625 जिसके हाल ख० नं० 1644 व 1645 की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता लालूराम पुत्र झाबरमल के नाम दर्ज कर दी गई। क्योंकि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता दोनों का लालूराम नाम था। एक समान व वल्दियत होने से गलती से वादीगण की खातेदारी की भूमि भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। पूर्व खसरा नं० 625 की रकबा 3 बीघा पुख्ता को वादीगण के पिता लालू पुत्र झाबर संवत 2019 से काश्त करता आ रहा था। भूमि नाप ख० नं० 625 मी. रकबा 3 बीघा पुख्ता का अंकन जमाबंदी संवत 2019 से 2022 व संवत 2023 से 2026 व संवत 2027 से 2030, संवत 2031 से 2034 में अंकन है। इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण का पिता उक्त भूमि को लगातार संवत 2019 से काश्त करता आ रहा था। इस कारण उक्त भूमि की किस्म भी बारानी थी जिसको काबिल काश्त कर काश्त कर लिया गया व इसको एलोटमेन्ट कर दिया गया, परन्तु संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी में सहवन से प्रतिवादी नं०-2 के पिता के नाम से भूमि ख० नं० 625 मी. रकबा 3 बीघा पुख्ता का नाम अंकन हो गया। —

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता व दादा का एक समान नाम होने से उक्त भूमि ख० नं० 31 के नाम दर्ज हो गई। जबकि मिसल हकीकत से लेकर आज तक प्रतिवादीगण के नाम ख० नं० 31 के अलावा अन्य कोई भूमि उनके खाते में नहीं रही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम से गलत दर्ज हो रही है उक्त गलत राजस्व-रिकार्ड वादीगण के अधिकारों के विरुद्ध शून्य व प्रभावहीन होने से काबिले दुरुस्त है अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पूर्व खसरा नं० 625 मी० रकबा 3 बीघा पुख्ता के हाल ख० नं० 1644 रकबा 0.43 है०, खसरा नं० 1645 रकबा 0.33 है० कुल किता-2 कुल रकबा 0.76 है० भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। व वादीगण के कब्जे काश्त व अधिकारों की उक्त भूमि हाल ख० नं० 1644 व 1645 का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर इसका राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम से इन्द्राजात किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की उक्त भूमि के कब्जे काश्त में दखल नहीं देवे। उक्त अनुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत समन/तलबाने पर मय दावा प्रति के प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलब किया गया। प्रतिवादी नं० 1 व 2 बावजूद तामील न्यायालय में असालतन/वकालतन कोई भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 228 दिनांक 4/2/20 को पेश की जिसके अनुसार ग्राम इस्लामपुर में स्थित भूमि ख० नं० 76, 1644, 1645 कुल किता 3 रकबा 1.40 है० की वर्तमान खातेदारी भोजा पत्नी बालू, मोती पुत्र बालू जाति माली के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी बाबत 2015-2018 में झाबर पुत्र भेडु जाति माली निवासी ग्राम के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी बाबत 2015-18 ख० नं० 31 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा दर्ज था जिसमें नामान्तरण 209 द्वारा विक्रय पत्र बालू पुत्र झाबर ने 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया इस प्रकार बालू पुत्र झाबर के नाम 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि पुख्ता रही है जिसके वर्तमान — 4 —

खण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	(4)
	खसरा नं० 76 है। तथा ख० नं० 625 मी. रकबा 3 बीघा की भूमि खातेदार बालु पुत्र झाबर को एलोटमेंट के भूमिहीन कृषक होने के कारण मिली थी नामान्तरकरण 523 से बालु पुत्र झाबर जाति माली को खातेदारी अधिकार मिल गये। जिसके वर्तमान ख० नं० 1644/1645 किता 2 रकबा 0.77 है० है। भूमि दोनों खातेदार के नाम एक समान होने पर बालु पुत्र झाबर व जाति भी एक होने पर जमाबंदी संवत 2039 से 2042 में बालु पुत्र झाबर जाति माली निवासी ग्राम खातेदार ख० नं० 31 मी. रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख० नं० 625 मी. रकबा 3 बीघा पुख्ता दर्ज हो गया है दोनों खातेदारों के नाम एक समान होने पर उपरोक्त भूमि एक खाते में दर्ज होकर नामान्तर सं० 934 से बालु की मृत्यु होने पर ख० नं० 31 मी. व 625 मी. रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि के बालु के वारिसान पुत्र गंगा पत्नी बल्लु, मोती पुत्र बल्लु जाति माली निवासी ग्राम दर्ज हो गया। जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। जबकि खातेदार बल्लु पुत्र मोती गंगा पत्नी बल्लु जाति माली के नाम ख० नं० 31 मी. जिसके वर्तमान ख० नं० 76 की खातेदारी है उक्त भूमि पर पर खातेदार काबिज काश्त है। ख० नं० 625 मी. व वर्तमान ख० नं० 1644/1645 पर बल्लु पुत्र झाबर के वारिस विश्वेश्वरलाल, शिवराम पुत्र बल्लु जाति माली का कब्जा काश्त होना बताते हुए रिपोर्ट पेश की जो शामिल है। हमने वाद पत्र शपथ पत्र मौका व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 लगा० व जांच रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए वादी व वकील पत्रावलियों पर विचार मनन किया गया। जिससे दोनों खातेदारों के नाम एक समान होने से भूलवश के प्रविष्टियों के खाते में दर्ज होना स्पष्ट रूप जाहिर है एवं प्रकरण वादी के सहखातेदार अधिकारी है भूल वश और रिकार्ड की कमी भी प्रकट [illegible] है इसमें कोई सीमा [illegible] निर्धारित नहीं है अतः सभी तथ्यों के हालात वाद कार्यवाही पूर्णतया सिद्ध होता है जो गलत राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित प्रतीत होता होता है लिहाजा-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश अतः दावा वादीगण सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम इस्लामपुर तहसील झुंझुनू की कृषि भूमि गत खसरा नं. 625 मी. रकबा 3 बीघा पुख्ता के हाल खसरा नं. 1644 रकबा 0.43 हैं. व खसरा नं. 1645 रकबा 0.33 हैं. कुल किता-2 कुल रकबा 0.76 हैं. में वर्तमान खातेदारान गंगा देवी पत्नि लालूराम व मोतीपुत्र लालूराम जाति माली का नाम हटाकर किया जाकर इनके स्थान पर वादीगण विश्वेश्वरलाल व श्रीराम पुत्रगण स्व. लालूराम जाति माली निवासी इस्लामपुर को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार खर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर की जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	